



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का एक संवैधानिक निकाय)
विनियामक भवन, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
टेलीफैक्स : 26673608, वेबसाइट : www.derc.gov.in

सार्वजनिक सूचना

ड्राफ्ट दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीनीकरण
खरीद अनिवार्यता तथा नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क
क्रियान्वयन) विनियमन, 2011

विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड 61, 62(1), 66, 86 (1)(ई) तथा 181 के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग ने ड्राफ्ट दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीनीकरण खरीद अनिवार्यता तथा नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क क्रियान्वयन) विनियमन, 2011 तैयार किया है। स्पष्टीकरण टिप्पणियों सहित ड्राफ्ट विनियमन आयोग की वेबसाइट www.derc.gov.in पर उपलब्ध है। इसकी प्रतियां रु. 20/- के नकद अथवा सचिव डीईआरसी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर, नई दिल्ली में देय, भुगतान द्वारा आयोग के कार्यालय से दिनांक 08.08.2011 से 07.09.2011 के बीच प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।

अंशधारियों से अनुरोध है कि वे ड्राफ्ट विनियमन के बारे में अपनी टिप्पणियां/आपत्तियां दिनांक 08.09.2011 तक आयोग को भेज दें। टिप्पणियां सचिव, डीईआरसी को डाक द्वारा अथवा ई-मेल secyderc@nic.in पर भेजी जा सकती हैं।

आयोग सभी अंशधारियों को अपनी राय तथा सुझाव देने का अवसर प्रदान करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन करेगा। सुनवाई की तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी।

हस्ता./-
सचिव डीईआरसी

फोन : 011-26673617